

बिहार सरकार  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  
 सं० सं०-4/निदे०-सी०एस०एस०-61-25/07- 132

प्रेषक,  
 वीरेन्द्र कुमार (भा०प्र०से)  
 निदेशक।  
 सेवा में,  
 जिला कल्याण पदाधिकारी,  
 पटना।

पटना, दिनांक - 28.03.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मेधा उन्नयन योजना के तहत कुल रू० 7.02 लाख (सात लाख दो हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,  
 उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनु०जाति के छात्र/छात्राओं को मेधा उन्नयन योजना के तहत वर्ग-9 से 12वीं कक्षा में पाठ्यरत्त/अध्यनरत्त छात्र/छात्राओं के लिए विशेष कोचिंग देने हेतु पत्रांक-118 दिनांक-24.03.2017 द्वारा कुल-रू०-7.02 लाख (सात लाख दो हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदालोक में रू०7.02 लाख (सात लाख दो हजार) मात्र संलग्न सूची के अनुसार पटना जिला को आवंटित किया जाता है।

2-कुल भारत व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्यय योजना बजट मद में शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0218 अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-3401 छात्रवृत्ति/वजीफा (माँग संख्या-44) विपत्र कोड P2225012770218 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय है।

3-इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगे।

4-इस योजना के तहत राशि का व्यय केन्द्र सरकार के पत्रांक-11016/13/2006- एस०डी०डी०-1 दिनांक-02.09.2011 (प्रति संलग्न) के द्वारा भेजे गए दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

5-वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2581, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6-आवंटित राशि के विरुद्ध चयनित छात्र/छात्राओं की सूची एवं पूर्ण राशि की उपयोगिता पत्रों को सत्यापित करते हुए विभाग को भेजा जायेगा।

7- इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को दी जा रही है।

8-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जा जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)  
 निदेशक।

ज्ञापांक-4/निदे०-सी०एस०एस०-61-25/07- 132

पटना, दिनांक- 28.03.17

प्रतिलिपि:-जिला कोषांगार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2-महालेखाकार बिहार, पटना, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3-सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4-उप निदेशक (मु०), प्रभारी बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ सहायक निदेशक (मु०), अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/ आई०टी० प्रबंधक/ सांख्यिकी कोषांग, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नीरव)  
 निदेशक।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनु0जाति के छात्र/छात्राओं के मेधा उन्नयन योजना (शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना ) के अन्तर्गत आवंटित राशि की विवरणी:-

क्रमांक	ज़िला नाम	कुल लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या	कुल आवंटित राशि (लाख में)
1	पटना	नवम्-40 दशम्-38	7.02 लाख
2		कुल व्यय:-	7.02 लाख

(सात लाख दो हजार रुपये) मात्र।

9/11/17

ldm

निदेशक